

E.D.S

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर  
पत्रांक- 2031 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, अक्टूबर, 28, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
मीरजापुर, वन प्रभाग  
मीरजापुर।

विषय:- 400 हे0वी0 ओबरा ली0लो0विद्युत पारेषण लाइन में प्रस्तावित 19.968 हे0(वर्तमान में 7.5118 हे0) वन भूमि के लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के संबंध में। प्रस्ताव सं0-एफ0पी0 / यू0पी0 / दान्तमिशन / 44753 / 2020.

सन्दर्भ:- आपका पत्र संख्या-1105 / ओबरा / 33 दिनांक 25.10.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक नामले की प्रस्ताव 4 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रेषित किये गये प्रस्ताव में निम्न कमियों / अनिलेखों का अभाव पाया गया:-

1- उप सचिव, उ0प्र0, शासन के पत्र संख्या-जी0आई0-322 / 14-2-94-700(2) / 97 दिनांक 01.01.1999 के शर्त संख्या-3 के अनुसार प्राप्त गैर वन भूमि की भा0व0अ0 1927 के अन्तर्गत संरक्षित / आरक्षित वन घोषित कराये जाने की स्थिति।

2- उप सचिव, उ0प्र0, शासन के पत्र संख्या-जी0आई0-322 / 14-2-94-700(2) / 97 दिनांक 01.01.1999 के शर्त संख्या-12 के अनुसार 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट कब तक जमा किया गया है। इस संबंध में प्रस्तावक के पत्र सं0-1750 दिनांक 132.10.2021 जो आपको सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है में उल्लेख है कि वर्ष 2019-20 व 2020-21 की लीज रेंट प्रभाग स्तर से मांग पत्र प्रेषित नहीं किया गया, जिसके कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। लीज रेंट भुगतान के संबंध में आपके कार्यालय के पत्र संख्या-956 / ओबरा / 33 दिनांक 06.10.2021 द्वारा प्रश्नगत लीज रेंट वर्ष 2019-20 तक भुगतान किये जाने तथा वर्ष 2020-21 की लीज रेंट जमा किया जाना शेष है उल्लेख किया गया है। प्रस्तावक के अनुसार वर्ष 2019-20 व 2020-21 की लीज रेंट किन परिस्थितियों में मांग नहीं की गयी। विलम्ब की स्थिति में ब्याज की देयता हेतु कौन उत्तरदायी है। स्पष्ट करें।

3- प्रस्ताव में 10 कि0मी0 परिधि में कोई सेंचुरी / वन्य जीव विहार न होने के संबंध में प्रभागीय वन अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

4- प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-18 पर संलग्नक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत प्रस्ताव धारा-4 में विज्ञापित भूमि को वन भूमि मानते हुए कुल 19.968 हे0 क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार किया गया था तथा धारा-20 की अधिसूचना के पश्चात 7.5118 हे0 प्रभावित हो रही है। इस प्रकार 12.4562 हे0 वन भूमि कम पाया गया। इस संबंध में निम्न प्रारूप में सूचना प्रेषित करें।

पूर्व के प्रस्ताव में उल्लिखित क्षे0-19.968 हे0				वर्तमान के प्रस्ताव में उल्लिखित क्षे0-7.5118 हे0				
रेंज का नाम	ग्राम का नाम	आ0सं0	क्षेत्रफल हे0 में	ग्राम का नाम	आ0सं0	क्षेत्रफल हे0 में	अन्तर (4-7)	अन्तर का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5-प्रस्ताव में संलग्नक पृष्ठ संख्या-27 पर धारा-20 की गजट की प्रति में उल्लिखित गाटा संख्या व क्षेत्रफल एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित गाटा संख्या व क्षेत्रफल से मिलान करने पर निम्न त्रुटियाँ पायी गयी है:-

(क)-गजट में गाटा सं०-6013 क्षेत्र 0.038 हे० एवं गाटा सं० 6014 क्षेत्र 0.051 हे० कुल 0.089 हे० है, जब कि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 0.3453 हे० उल्लेख किया गया है।

(ख)- गजट में गाटा सं०-5824 नहीं है, जब कि संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

(ग)- गजट में गाटा सं०-6221 मि० उल्लेख है, आप द्वारा 6221 उल्लेख किया गया है।

(घ)- गजट में गाटा सं०-6221 मि० उल्लेख है, आप द्वारा 6221 उल्लेख किया गया है।

(ङ)- गजट में गाटा सं०-5575 नहीं है, आप द्वारा 5575 उल्लेख किया गया है।

(च)- गजट में गाटा सं०-2327 ख उल्लेख है, आप द्वारा 2327 उल्लेख किया गया है।

(छ)- गजट में गाटा सं०-2328 ख उल्लेख है, आप द्वारा 2328 उल्लेख किया गया है।

(ज)- गजट में गाटा सं०-5586 मि० उल्लेख है, आप द्वारा 5586 उल्लेख किया गया है।

6- प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक, / नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-338/11-सी दिनांक 29.07.2021 द्वारा वन भूमि के समस्त प्रस्ताव की हार्ड कापी के साथ-साथ प्रस्ताव के पृष्ठ ( विषय सूची ) से लेकर प्रस्ताव के अन्तिम पृष्ठ तक की पी०डी०एफ० फाइल पैर डाइब तीन प्रतियों में प्रेषित नहीं किया गया है।

7-प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि का लैंड शेड्यूल निम्न प्रारूप में संलग्न नहीं है।

प्रमाण का नाम	रंज का नाम	ग्राम का नाम	बीट का नाम	कं०नं०	प्रभावित वन भूमि की आ०सं०	प्रभावित वन भूमि की ल० (कि०मी०)	प्रभावित वन भूमि की चौ० (कि०मी०)	प्रभावित वन भूमि की क्षेत्र (हे०में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अतः प्रश्नगत प्रस्ताव मूल में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करते हुए उपरोक्त कमियों का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

**अग्रसित**  
28/11/21  
(प्रशासनिक अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र  
मीरजापुर)

भवदीय  
(रमेश चन्द्र झा)  
मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर